न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2018 (राजसमन्द डिक्की)

मिठू पिता भूरा, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हरजी राम पिता रामा पिता दला, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नारायण पिता रामा पिता दला, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोहनलाल पिता रामा पिता दला, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती धापू बेवा रामा पिता दला, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. रमेशचन्द पिता हजारी पिता दला, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मोहनलाल पिता हजारी पिता दला, जाति बलाइ, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती वजी पत्नी हजारी पिता दला, जाति बलाई, निवासी कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
8. तहसीलदार भूमिधारक, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिक्की उपखण्ड अधिकारी, भीम

दिनांक 08.06.2017, प्र. सं. 65/17

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री मदनसिंह चौहान अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रे.सं. 1 से 7

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक

12–06–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालादेह में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की भूमियां स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व व कब्जे की हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त भूमियों में वादीगण का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज हो जाने से उनके मन में खोअ आ गया एवं वह भूमियों को अन्यत्र विकय करने पर आमादा हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा हटाया जाकर 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा शेष 3/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 08–06–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को विवादित भूमियों के 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–04–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सूचित किये बिना राजस्व कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी होते ही अपील तुरन्त प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 08–06–2017 को अपीलान्ट/प्रतिवादी की उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर हैं, इसलिए उसे सूचित नहीं किये जाने का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उनके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन क साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर मनन किया गया। आवेदन के साथ एफ.आई.आर. प्रमाणित प्रति है, जबकि जमाबन्दी संवत् 2072 से 2975 की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त दोनों दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट/प्रतिवादी के आदेशिका पर यह कहकर हस्ताक्षर करवा लिये कि आज तुम्हारे गांव में न्यायालय आया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व उसकी गैर मौजूदगी में मनमाफिक निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपीलान्ट की उपस्थिति में तथा उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05–06–2017 को प्रकरण दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 08–06–2017 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। हालांकि उक्त दिनांक को आदेशिका पर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 मीठू के हस्ताक्षर है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना साक्ष्य लिऐ अत्यन्त जल्दबाजी में सिर्फ एक ही पेशी पर निर्णय पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।